

जल जीवन मिशन, जलपट—  
ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल सम्बन्धी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन मुगलता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है और डी.डब्ल्यू.यस.एम. और डी.डब्ल्यू.यस.एम. को अनुमोदित की जानी है। आई एस ए द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तारीख—

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख—

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख—

2. ग्राम का नाम एवं जनगणना कोड—

ग्राम पंचायत का नाम—**मांडप**

ब्लॉक का नाम—**दृष्टिभवन** जिला का नाम—**दृष्टिभवन** राज्य का नाम—**छत्तीसगढ़**  
(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकृक्षा

(संख्या) गवेशी कुड़ी को और (संख्या) कपड़े धोने/स्वान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अधोत

घटे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल.पी.डी.डी. जल के आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रटान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसरणना के अपनत्य, प्रवंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं।

हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदर्भित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का % प्रवंधन और रख-रखाव, लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जायेगा और जल आपूर्ति के प्रबंधन में योगदान किया जायेगा।

\*पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

॥ ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति ए अर्थात वी.डब्ल्यू.यस.सी./पानी समिति प्रयोक्ता समझु आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजन कार्यान्वयन प्रबंधन प्रचालन और रख-रखाव का वेतन्त्र करेगी

(ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति)—उप समिति

समिति को क्या कहा जाता है—ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति

अध्यक्ष का नाम—श्री/श्रीमती

लिंग—पुरुष/महिला

आयु—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	लिंग	आयु
1.	मुर्खेन्दुकुमा	५०	३०
2.	मुर्खेन्दुकुमा	"	
3.	मुर्खेन्दुकुमा	"	५५
4.	मुर्खेन्दुकुमा	"	५०
5.	मुर्खेन्दुकुमा	"	४५
6.	मुर्खेन्दुकुमा	(दो)	४०
7.	मुर्खेन्दुकुमा	"	३५
8.	मुर्खेन्दुकुमा	"	५५
9.	मुर्खेन्दुकुमा	"	४०
10.	मुर्खेन्दुकुमा	५०	३५
11.	मुर्खेन्दुकुमा	"	३५
12.	मुर्खेन्दुकुमा	"	५५
13.	मुर्खेन्दुकुमा	२८	५५
14.	मुर्खेन्दुकुमा	२८	५०
15.	मुर्खेन्दुकुमा	५०	

III. सामान्य विवरण

6. 2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी रिकार्ड के अनुसार
9193	ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम योग ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम योग 10000
जनसंख्या	— — —

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किये जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल (योंतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति):

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	इश्य तुलना	1. 2
पीएच	पट्टी रंग तुलना	1. 4
पूर्ण लवणता	टिटीभेटिक विधि	1. 5
पूर्ण क्षारीयता	टिटीभेटिक विधि	1. 1
क्लोराइड	टिटीभेटिक विधि	1. 9
अमोनिया	इश्य रंग तुलना	1. 9

कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान

23. यह सम्भवना है कि गांव के कुछ ग्रामीण इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कलेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आवादी
	1233	7060

स्रोत स्थानित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है (हाँ/नहीं)

25. गांव में उन मौजूदा जल भण्डारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है

1. तालाब (संख्या.....) 2. कुओं (संख्या.....) 3. अन्य

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%) \_\_\_\_\_ के.एल.डी.

अलग अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या 500

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ढों की आवश्यकता है 800

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या 157.

क्या अपरिस्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है (हाँ/नहीं) ✓

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया जाया है:-

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? स्टोरी बैच

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्लू.पी. के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके एन.आर.डी.डब्लू.पी. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे०००५०० के अनुकूल बनाया जा सके।
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्लू.एस. जो लकान्ट/सादियासी वस्तियों में स्थित है

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: पाइप प्रमाण तंकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना भारत ब्रिटन ब्रिटेन इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि झम उत्तर यह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्लू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी- योजना की लागत भारत सरकार का हिस्सा 70% राज्य का हिस्सा ३०% समुदाय का हिस्सा व्यक्तिगत घरेलू अंशदान ० व्यक्तिगत प्रचालन व रख-रखाय शुल्क: ० यों दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्लू.एस. ०

VI. मेल जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संमावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	केंद्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियां जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि	
स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एस.वी.एम.-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट-सोख्ता (व्यक्तिगत/सामुदायिक), अपरिस्ट तलछट तालाब आदि।	गड्ढे